न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–~~76~~ 43/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्री फूलचन्द आत्मज श्री भुवाना जी धाकड़, उम्र 47 वर्ष, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

1. महावीर पुत्र श्री फुलचन्द जी धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री फूलचन्द धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. रामचन्द्र आत्मज भूवाना जी धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भंवर लाल पुत्र मदन जी धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. कालू पुत्र मदन जी धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. नन्दलाल पिता मेघवाल, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम धारड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. दुर्गालाल पुत्र श्री गणपत जी मेघवाल, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. रामेश्वर पुत्र श्री लालचन्द धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

............विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **बाबूराम देराश्री**

अप्रार्थी की ओर से :– **प्रतिवादी 01 से 05, 7,8 एकतरफा व 06 स्वयं उपस्थित।**
प्रतिवादी संख्या 09 पेरोकार सरकार।

दिनांकः– 12.11.2024

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम जालखेड़ा प0ह0 जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 83 खसरा संख्या 102, 103, 135, 175, 176, 179, 201 रकबा 4.2100 है0 भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा नम्बर 102, 103, 135, 175, 176, 179, 201 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को लेकर व काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जालखेड़ा प0ह0 जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 83 खसरा संख्या 102, 103, 135, 175, 176, 179, 201 रकबा 4.2100 है0 भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:20 IST
Reason: SelfAttested